न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–136/2023

शेख मोहम्मद हारून.....वादी

बनाम

अफरोज आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.02.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 08.09.2023 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 एवं 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि वादी ने तफसील एराजी सय तकरारी अंदर मद न0–04 अर्जी नालिश में वर्णन किया है। जिस पर अधिवक्ता आयुक्त महोदय को अपना स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना है। एराजी सय तकरारी अर्जी नालिश मद न0–04 में वादी का आठ पेड फलदार आम व सहन है जिसके निस्वत प्रतिवादी तृतीय पक्ष से बिना हकियत एवं दखल कब्जें के प्रतिवादी द्वितीय पक्ष दिनांक 24.04.2023 को लिखाकर तुरंत दिनांक 06.05.2023 को प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ फरोख्त कर दिया। दस्तावेज में दरखतान का कोई जिक्र नही है। कथित बयनामा दस्तावेज की बुनीयाद पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष ताजबरदस्ती एराजी सय तकरारी में अवस्थित आम के फलदार पेडों को नष्ट करने की योजना बना रहा है ताकि सय एराजी का वर्तमान स्वरूप बदला जाय। न्यायहित में न्यायालय द्वारा किसी भी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति वादी के खर्चे पर करना आवश्यक है। जिससे वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति अभिलेख पर आ सके। वादग्रस्त भूमि न्यायालय परिसर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के खर्चे पर अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित कराने की कृपा करें इसके लिए वादी न्यायालय का सदैव आभारी रहेगा। प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 19.10.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादी के द्वारा दाखिल आवेदन खारिज योग्य है। वादी ने वादपत्र के पैरा न0–07 पेज न0–05 पर विवादित	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–136/2023

शेख मोहम्मद हारून.....वादी

बनाम

अफरोज आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.02.2024	भूमि पर आठ पेड आम तथा सहन के संबंध में बयान किया है। वादपत्र के मद न0–04 में वर्णित भूमि पर भी मय आठ पेड फलदार आम एवं सहन का वर्णन किया है। इस प्रकार विवादित भूमि का यथास्थिति क्या है? इसका विवरण स्पष्ट दिया गया है। प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि पर पेड है या नही यह विवादक बिन्दु नही है बल्कि विवादयक बिन्दु यह है कि क्या वादी विवादित भूमि पर माँगे गये अनुतोष का अधिकारी है? अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र की मद न0–04 अर्जी नालिश में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण दखल कब्जें में किसी भी प्रकार के प्रतिवादी के मोजाहम पेश करने से एवं वादी का हकियत एवं दखल कब्जा बक्खशीशनामा दस्तावेज दिनांक 21.01.1984 के आधार पर घोषित करने एवं दो किता बयनामा दस्तावेज सं0–4892 एवं 4894 तथा दो किता रजिस्टर्ड बयनामा दस्तावेज सं0–5438 एवं 5439 को जाली, फरेबी, बेकार, बेअसर घोषित कराने एवं अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 08.09.2023 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–136/2023</u>

शेख मोहम्मद हारून.....वादी

बनाम

अफरोज आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.02.2024	मो0–2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये वादी के द्वारा वहन किये जायेगें। अधिवक्ता आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह दो सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। वाद दिनांक 19.02.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	